

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मूलगढ ठेला गण्डराखाल मोटर मार्ग का भेलगढी से पांडवगांव तक विस्तार कार्य ।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र


ग्राम पंचायत का नाम- पुण्डोली
तहसील-घनसाली, जिला-टिहरी गढ़वाल।

जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मूलगढ ठेला गण्डराखाल मोटर मार्ग का भेलगढी से पांडवगांव तक विस्तार कार्य का नव निर्माण कार्य की परियोजना के निर्माण हेतु 4.174 है० आरक्षित वन भूमि 0.273 है० सिविल सोयम भूमि 0.00 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 4.447 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पुण्डोली द्वारा दिनांक- 1-1-2019 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पुण्डोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव




नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र 23.1

दिनांक 01-07-2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत पुण्डोली

क्रमांक	ग्राम में उपस्थिति वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम/पिता का नाम	हस्ताक्षर
(1)	मकान सिंह मेधी S/O विद्यालाल सिंह	मकान सिंह
(2)	मान सिंह पुण्डोरी S/O गानवर सिंह	मान सिंह
(3)	सुन्दर सिंह S/O देगाल सिंह	सुन्दर सिंह
(4)	शम सिंह S/O रामधर सिंह	शम सिंह
(5)	श्रीम सिंह S/O कुंठे सिंह	श्रीम सिंह
(6)	टिकुम सिंह S/O हाफगार सिंह	टिकुम सिंह
(7)	देवम सिंह S/O रामचन्द्र सिंह	देवम सिंह
(8)	बन्धु सिंह S/O श्रीचन्द्र सिंह	बन्धु सिंह
(9)	दिनेश सिंह S/O कीर्त सिंह	दिनेश सिंह
(10)	टिकुम सिंह गुसाई S/O रामेश्वर सिंह	टिकुम सिंह
(11)	पंचम सिंह S/O लालू सिंह	पंचम सिंह
(12)	अतल गुसाई S/O विन्देन सिंह	अतल गुसाई
(13)	प्रताप सिंह गुसाई S/O नारायण सिंह	प्रताप सिंह
(14)	गणेश सिंह पुण्डोरी S/O देव सिंह	गणेश सिंह
(15)	शंकर पुण्डोरी S/O विरेन्द्र सिंह	शंकर पुण्डोरी
(16)	त्रिलोक सिंह S/O चन्द्र सिंह	त्रिलोक सिंह
(17)	जगदीश सिंह S/O जशवंत सिंह	जगदीश सिंह
(18)	रुक्म सिंह S/O गोरिया सिंह	रुक्म सिंह
(19)	देव सिंह S/O हरे सिंह	देव सिंह
(20)	रुक्म राव S/O गोविन्द सिंह	रुक्म राव
(21)	कर्ण सिंह S/O सुन्दर सिंह	कर्ण सिंह
(22)	शिवन्द सिंह S/O शंकर सिंह	शिवन्द सिंह
(23)	अनीता S/O दिनेश सिंह	अनीता
(24)	लक्ष्मी देवी S/O भारत सिंह	लक्ष्मी देवी
(25)	वसन्ती देवी S/O विरेन्द्र सिंह	वसन्ती देवी
(26)	वसन्ती S/O जसवन्त	वसन्ती
(27)	सौमी S/O पुण्डोरी सिंह	सौमी
(28)	मेमता S/O शंकर सिंह	मेमता



परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मूलगढ टेला गण्डराखाल मोटर मार्ग का भेलगढी से पांडवगांव तक विस्तार कार्य ।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम-

तहसील-घनसाली, जिला-टिहरी गढ़वाल।

जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मूलगढ टेला गण्डराखाल मोटर मार्ग का भेलगढी से पांडवगांव तक विस्तार कार्य का नव निर्माण कार्य की परियोजना के निर्माण हेतु 4.174 है० आरक्षित वन भूमि 0.273 है० सिविल सोयम भूमि 0.00 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 4.447 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत हत्थालोट द्वारा दिनांक-) 1-1-2019

को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम हत्थालोट के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव



नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।


उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र 23.1

दिनांक 11-01-2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत खल्लाकोट

क्रमांक	ग्राम में उपस्थिति वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम/पिता का नाम	हस्ताक्षर
1	सुरजिन्द सिंह S/O प्रेम सिंह	
2	विरज सिंह S/O नारायण सिंह	
3	अजय सिंह S/O नारायण सिंह	
4	अजय सिंह S/O गुरि राम सिंह	
5	धनवीर सिंह S/O जालराम सिंह	
6	कैलाश सिंह S/O रघुवीर सिंह	
7	दुर्गम सिंह S/O विक्रम सिंह	
8	विनया देवी W/O सरत सिंह	
9	विनया देवी W/O सरत सिंह	
10	गुडडी देवी W/O महेंद्र सिंह	
11	सुपुमा देवी W/O रोहन सिंह	
12	सुनीता देवी W/O रमेश सिंह	
13	शिवराम सिंह S/O इन्द्र सिंह	
14	अगन सिंह S/O थोपड़ सिंह	
15	गुडडी देवी W/O सोहन सिंह	
16	अहिपाल सिंह S/O गोकुल सिंह	
17	मंजू देवी W/O राजेंद्र सिंह	
18	सुनील सिंह - बलवीर सिंह	
19	पुरारी देवी - सुनील सिंह	




प्रपत्र 23.1

दिनांक 11-01-2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत शुल्कावेर

क्रमांक	ग्राम में उपस्थिति वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम/पिता का नाम	हस्ताक्षर
1	दलजीत सिंह गुलाब	दलजीत सिंह
2	बृजपाल सिंह गुलाब	बृजपाल सिंह
3	भुरला सिंह	भुरला सिंह
4	साहदेव सिंह	साहदेव सिंह
5	पद्मोद सिंह	पद्मोद सिंह
6	अशोक लाल	अशोक लाल
7	रमेश लाल	रमेश लाल
8	विष्णु लाल	विष्णु लाल
9	विष्णु लाल	विष्णु लाल
10	राम सिंह	राम सिंह
11	सूर सिंह	सूर सिंह
12	विश्वनाथ लाल	विश्वनाथ लाल
13	जगदीप लाल	जगदीप लाल
14	नरेश लाल	नरेश लाल
15	विक्रम सिंह	विक्रम सिंह
16	नरेश सिंह	नरेश सिंह
17	गम्भार सिंह	गम्भार सिंह
18	मकान सिंह	मकान सिंह
19	बैजानाथ सिंह	बैजानाथ सिंह
20	विनेश सिंह	विनेश सिंह
21	विनेश सिंह	विनेश सिंह
22		
23		
24		
25		



प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मूलगढ टेला गण्डराखाल मोटर मार्ग का भेलगढी से पांडवगांव तक विस्तार कार्य ।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र उपखण्डीय स्तरीय समिति, घनसाली

उपखण्ड घनसाली परिक्षेत्र के अन्तर्गत मूलगढ टेला गण्डराखाल मोटर मार्ग का भेलगढी से पांडवगांव तक विस्तार का नव निर्माण कार्य हेतु 4.174 है० आरक्षित वन भूमि, 0.273 है० सिविल एवं सायेम वन भूमि, 0.00 है० वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 4.447 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पत्रा मं हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील-घनसाली) की दिनांक-18/7/19 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री प्र. न. लाल उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :-

1. श्री प्र. न. लाल उपजिलाधिकारी प्र. न. लाल अध्यक्ष।
2. श्री श. र. लाल उप प्रभागीय वनाधिकारी प. न. लाल सदस्य।
3. श्री स. र. लाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी, घनसाली। सदस्य/सचिव स. र. लाल
4. श्री श्रीमती. त्रि. लाल बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत सदस्य/प्रमुख भिलंगना। सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया है कि राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मूलगढ टेला गण्डराखाल मोटर मार्ग का भेलगढी से पांडवगांव तक विस्तार का नव निर्माण कार्य हेतु परियोजना हेतु 4.447 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी गढ़वाल नई टिहरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार को दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्व सम्मति से उपखण्ड घनसाली परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मूलगढ टेला गण्डराखाल मोटर मार्ग का भेलगढी से पांडवगांव तक विस्तार का नव निर्माण कार्य की परियोजना के निर्माण हेतु 4.447 है० वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

पत्रांक :- / तददिनांक।





प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी को सूचनाार्थ प्रेषित।

प्र. न. लाल
उपजिलाधिकारी,
घनसाली, टिहरी गढ़वाल,
उप जिलाधिकारी
घनसाली


प्र. न. लाल
उपजिलाधिकारी,
घनसाली, टिहरी गढ़वाल,
उप जिलाधिकारी
घनसाली

कार्यालय उपजिलाधिकारी, घनसाली
उपखण्ड स्तरीय समिति, घनसाली
टिहरी गढ़वाल।

आज दिनांक- 18/2/19 को जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मूलगढ़ ठेला गण्डराखाल मोटर मार्ग का भेलगढी से पांडवगांव तक विस्तार कार्य का नव निर्माण कार्य हेतु भू हस्तानान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी, घनसाली की अध्यक्षता में हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार :-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री फिरोज़ चौधरी	उपजिलाधिकारी घनसाली	 उप जिलाधिकारी घनसाली
2	श्री शारद सिद्धिंगेरी	उप प्रभागीय वनाधिकारी, वन क्षेत्राधिकारी	 वन क्षेत्राधिकारी भिलंगना गढ़वाल टि० सं० ५० नई टि०
3	श्री रज्जु रज्जु पेंवार	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	 सहायक समाज कल्याण अधिकारी भिलंगना (टिहरी गढ़वाल)
4	श्रीमती निर्मला देवी बिष्ट	बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत सदस्य / प्रमुख भिलंगना	 श्रीमती निर्मला देवी बिष्ट कनिष्ठ उप-प्रमुख क्षेत्र पंचायत- भिलंगना, टिहरी

प्रतिहस्ताक्षरित


उप प्रभागीय वनाधिकारी
विशेष वन प्रभाग
नई टिहरी

Form-1

For linear projects
Government of india

Office of the District Collector Tehri Garhwal

No. 654/xxvi-ALCII 2019-2020

Dated...29-8-2020


To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN


In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) Government of india's letter no. 11-98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initial and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relation in respect of linear projects it is certified that **4.447 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Ty. Division P.W.D. Ghansali for **Construction of Bhealgadi to Pandavgaon motor road.** (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district falls within jurisdiction of Malyakot and Pundoli village (s) In Ghansali Tehsil.

It is further certified that

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.447 Hectares** of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee (s) Gram sabha (s) sub. Division level committee (s) and the district level committee (s) are include as annexure to annexure.....
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as the required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram sabha have given their consent to it,
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl. As above.


S.D.M.धिकारी
Ghansali
Tehri Garhwal

Signature
(..........)
District collector
Tehri Garhwal
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रारूप-30.1
OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT -TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)


Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) Act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Tehri Garhwal district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr./Mrs. Mangesh Ghildiyal I.A.S District collector, Tehri Garhwal at New Tehri in which application claiming rights in Bhilangana Block area measuring 4.447 hect. for the construction of **Construction of Bhealgadi to Pandavgaon motor road.** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;...New Tehri

Dated:..29-8-2020


District Collector-cum-Chairman
District Level Committee
टिहरी गढ़वाल